



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082022-238491
CG-DL-E-31082022-238491

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595]
No. 595]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2022/भाद्र 9, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2022/BHADRA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2022

सं. 25/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 671(अ).—जहाँ की केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि एविएशन ट्रबाईन फ्यूल, जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के शीर्ष 2710 के अधीन आते हैं पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को पुनरीक्षित किया जाना चाहिए और इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हैं कि इसके लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसरण में यह निर्देश देती है कि वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित रीति से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में, मद संख्या 4 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "रु. 12 प्रति लीटर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 सितंबर, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2022

No. 25/2022-Central Excise

G.S.R. 671(E).—WHEREAS, the Central Government on being satisfied that the Special Additional Excise Duty leviable on Aviation Turbine Fuel falling under heading 2710 of the Fourth Schedule to the Central Excise Act 1944 (1 of 1944), should be revised and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

NOW, therefore, in pursuance of section 147 of the Finance Act, 2002, the Central Government, hereby directs that the Eighth Schedule to the said Finance Act, 2002, shall be amended in the following manner, namely: -

In the Eighth Schedule to the Finance Act, 2002, against Item No. 4, for the entry in column (3), the entry "Rs. 12 per litre" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of September, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2022

सं. 26/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 672(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक, 19 जुलाई, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 584(अ), दिनांक 19 जुलाई, 2022, में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "रु. 13,300 प्रति टन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) क्रमांक 2 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "रु. 9 प्रति लीटर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. यह अधिसूचना 1 सितंबर, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 19 जुलाई, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 584(अ), दिनांक 19 जुलाई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 24/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 18 अगस्त, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 642(अ), दिनांक 18 अगस्त, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।